प्रेस नोट
दिनांक 14.08.2026

15 अगस्त के पूर्व जनपद में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिया राष्ट्रभक्ति का संदेशः–

गोण्डा। आगामी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के दृष्टिगत जनपदवासियों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में आज दिनांक 14.08.2026 को जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ तिरंगा यात्रा'' निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर विभिन्न प्रमुख मार्गों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए आमजन को देश की एकता, अखण्डता एवं राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। यात्रा के दौरान लोगों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान एवं उसकी गरिमा बनाए रखने की अपील की गई। तिरंगा यात्रा में स्थानीय नागरिकों द्वारा भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की गई। पुलिसकर्मियों ने आमजन से आपसी भाईचारा, सौहार्द एवं शांति बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह एवं गरिमापूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की स्वतंत्रता, शौर्य, त्याग, एकता एवं गौरव का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के बलिदान का स्मरण कराता है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए सभी से राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को मजबूत बनाने तथा देशहित में अपने कर्तव्यों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करने की अपील की।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 14.08.2026</u>

<u>थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो वाहनों से बकरी चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह के वांछित अभियुक्त रिजवान पुत्र गुलाम हैदर, निवासी ककरिहा, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच, स्थायी पता इस्लामपुरवा बरहीबेलास, थाना रिसिया, जनपद बहराइच को पतिसा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 08.06.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा बकरी चोरी करने वाले एक अंतर्जनपदीय संगठित गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर अभियुक्तों– 01. आरिफ पुत्र सलीम, 02.नरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा, 03. मो० इरफान उर्फ भूरे पुत्र लोधे को दत्तनगर मोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 09 अदद चोरी की बकरी/बकरा, घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियों गाड़ी व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। जिसमें अभियुक्त रिजवान पुत्र गुलाम हैदर, निवासी ककरिहा, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच, स्थायी पता इस्लामपुरवा बरहीबेलास, थाना रिसिया, जनपद बहराइच वांछित चल रहा था। जिसे आज दिनांक 14.08.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा पतिसा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. रिजवान पुत्र गुलाम हैदर, निवासी ककरिहा, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच, स्थायी पता इस्लामपुरवा बरहीबेलास, थाना रिसिया, जनपद बहराइच।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0 0332/2026 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस वृद्धि धारा 317(2), 317(4) बीएनएस एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 0192/2026 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 रोहित रणवीर, थाना करनैलगंज
02. हे0का0 बंका सिंह
03. का0 रामजी शुक्ला
04. रि0का0 सदाराम यादव
05. रि0का0 अशोक कुमार

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 14.08.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 का कारावास व रूपये 25,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.02.2023 को थाना कटराबाजार में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें कटराबाजार पुलिस द्वारा अभियुक्तगण गंगाराम ओझा व राकेश ओझा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोपी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना कटराबाजार में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री सुनील मिश्रा व श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0 का0 वंदना व थाना कटरबाजार के पैरोकार हेड का0 सुनील शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 14.08.2026 को दोषी अभियुक्त राकेश ओझा को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष का कारावास व 25,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा साक्ष्यों के अभाव में गंगाराम ओझा को दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01. राकेश ओझा पुत्र गंगाराम ओझा नि0 धोखई नि0 ग्राम भैरमपुर असरना थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 70/2023 धारा 354(ख),504,506 भा0द0वि0 व 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट, थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।